



**POLICE COMMISSIONERATE**



## **GAUTAM BUDH NAGAR**

### **सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 30.03.2026**

1. थाना सेक्टर-63, सैन्ट्रल नोएडा पुलिस व साइबर टीम द्वारा संयुक्त प्रयास से फर्जी कॉल सेन्टर संचालित कर आमजन को कूज पर नौकरी देने, मेडीकल फिटनेश चेकअप कराने, वर्क आर्डर व वीजा दिलवाने के बहाने धोखाधडी करने वाले 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 04 लैपटाप, 11 मोबाइल फोन व 9 विभिन्न बैंकों के डेबिट कार्ड, 12000/- नकद रुपये व 09 ऑफिसियल ऑफर लेटर, 03 सैट स्क्रिप्ट/पिच, 01 प्रति मेडिकल सेंटर, 01 मेडिकल रेफरल लेटर, 05 सैट मेडिकल सर्टिफिकेट, 06 वर्क कैंडिडेट कालिंग लिस्ट बरामद ।

**कार्यवाही का विवरण--** दिनांक 30.03.2026 को थाना सेक्टर-63 पुलिस व साइबर टीम के संयुक्त प्रयास से एच 90 सेक्टर-63 नोएडा में Sea Zone Recruitment and Training नामक फर्जी काल सेन्टर संचालित कर आमजन को कूज पर नौकरी देने, मेडीकल फिटनेश चेकअप कराने, वर्क आर्डर व वीजा दिलवाने के बहाने धोखाधडी करने वाले करने वाले 04 अभियुक्तगण 1. नितिन कुमार पुत्र ओमप्रकाश 2. विरेन्द्र कुमार पुत्र रामबहादुर 3. अमन कुमार पुत्र रामकुमार 4. सचिन कुमार पुत्र ओमप्रकाश को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना सेक्टर-63 सैन्ट्रल नोएडा पर मु0अ0स0-136/2026 धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस व 66डी आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया है ।

**अभियुक्तगण से पूछताछ का विवरण--** अभियुक्तों द्वारा सोशल मीडिया (फेस बुक, इस्टाग्राम व अन्य ऐप्प आदि) के माध्यम से अपनी फर्म के विषय में प्रचार प्रसार करके कूज पर नौकरी देने, मेडीकल फिटनेश चेकअप कराने, वर्क आर्डर व वीजा दिलवाने के बहाने लडको व लडकियो को अपनी बातों में फंसाकर उनसे किस्तों में मेडीकल चेकअप के लिये 10000 रुपये व ट्रेनिंग कराने के बहाने 45 हजार रुपये व वर्क आर्डर व वीजा दिलवाने में सहायता करने के नाम पर 25 हजार रुपये ट्रांसफर व कैश के रूप में लेते थे तथा पैसा लेने के बाद हम लोग अपने मोबाइल को बन्द कर देते थे व आफिस अन्य स्थान पर शिफ्ट कर लेते थे तथा मेरी फर्म का वर्तमान समय तर जीएसटी नम्बर नहीं मिला है जिसके कारण पैसा अपने व अपने साथियों के बैंक खातों में लेते थे ।

### **गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--**

1. नितिन कुमार पुत्र ओमप्रकाश नि0 लकड़मंडी नहर ददोली, सोरांव, प्रयागराज हालपता- अभयखण्ड-1 गली नं0 02, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद उम्र 23
2. सचिन पुत्र ओमप्रकाश नि0 लकड़मंडी नहर ददोली, सोरांव, प्रयागराज हालपता- अभयखण्ड-1 गली नं0 01, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद उम्र 31
3. अमन कुमार पुत्र रामकुमार नि0 अभयखण्ड-1 गली नं0 01, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद मूल पता- सराय अर्जुन थाना सोरांव प्रयागराज उम्र 21 वर्ष

4. वीरेन्द्र पुत्र रामबहादुर नि0 अम्बेडकर विहार, गली नं0 03 सै0 37, नोएडा मूलपता कसेरु आकला थाना सरायइनायत ब्लाक- सांसो, प्रयागराज उम्र 20 वर्ष

### पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0स0-136/2026 धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस व 66डी आईटी एक्ट थाना सेक्टर-63 गौतमबुद्धनगर ।

### बरामदगी का विवरण--

04 लैपटाप,  
11 मोबाइल फोन ,  
9 विभिन्न बैंकों के डेबिट कार्ड,  
12000/- नकद रुपये ,  
09 ऑफिसियल ऑफर लेटर,  
03 सैट स्क्रिप्ट/पिच,  
01 प्रति मेडिकल सेंटर,  
01 मेडिकल रेफरल लेटर,  
05 सैट मेडिकल सर्टिफिकेट,  
06 वर्क कैंडिडेट कालिंग लिस्ट ।

2. थाना सेक्टर-113 पुलिस द्वारा ग्रांडर डेटिंग ऐप के माध्यम से धोखाधड़ी/लूट करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से ₹30,000 नकद, 04 मोबाइल फोन, 01 कार, 01 चैन पीली धातु, 02 कार नंबर प्लेट बरामद ।

**कार्यवाही का विवरण--** दिनांक 30.03.2026 को थाना सेक्टर-113 पुलिस द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस व इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की सहायता से धोखाधड़ी/लूट करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 03 अभियुक्त 1. शिवम झा पुत्र पवन झा, 2. सागर ठाकुर पुत्र मदन ठाकुर, 3. कमल पुत्र प्रताप राम को सेक्टर-76 नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 30,000 रुपये नकद, 04 मोबाइल फोन, 01 Baleno कार बिना नंबर प्लेट, 01 चैन पीली धातु, 02 कार नंबर प्लेट बरामद किया गया है ।

**अपराध करने का तरीका--** अभियुक्तगण संगठित रूप से गैंग बनाकर ऑनलाइन डेटिंग ऐप (ग्रांडर गे डेटिंग ऐप) के माध्यम से पहले व्यक्तियों से संपर्क स्थापित कर उनसे मित्रता करते हैं। इसके उपरांत वे पीड़ित को किसी

निर्धारित स्थान पर मिलने के लिए बुलाते हैं। मुलाकात के दौरान अभियुक्तगण Baleno कार का उपयोग करते हुए पीड़ित को अपने वाहन में बैठाकर उसे डरा-धमकाकर उसके साथ धोखाधड़ी करते हैं तथा उसके माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कराकर पैसे निकलवा लेते हैं एवं लूटपाट की घटना को अंजाम देते हैं।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. शिवम झा पुत्र पवन झा निवासी ग्राम सुजान, थाना लोना रोड, दरभंगा (बिहार) वर्तमान पता ग्राम होशियारपुर, सेक्टर-51, थाना सेक्टर-49, गौतमबुद्धनगर, उम्र 20 वर्ष।
2. सागर ठाकुर पुत्र मदन ठाकुर निवासी ग्राम लोना, थाना लोना रोड, दरभंगा (बिहार) वर्तमान पता ग्राम होशियारपुर, सेक्टर-51, थाना सेक्टर-49, गौतमबुद्धनगर, उम्र 18 वर्ष।
3. कमल पुत्र प्रताप राम निवासी ग्राम नाकोर, थाना कोतवाली अल्मोडा, अल्मोडा (उत्तराखंड) वर्तमान पता ग्राम होशियारपुर, सेक्टर-51, थाना सेक्टर-49, गौतमबुद्धनगर, उम्र 26 वर्ष।

**पंजीकृत अभियोग का विवरण--** मु0अ0सं0- 098/2026 धारा 318(4),3(5),317(2) बीएनएस, 66(D) आईटी एक्ट, थाना सेक्टर-113, गौतमबुद्धनगर।

#### ● अभियुक्त शिवम झा का आपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0सं0- 298/2023, धारा 392 भा0द0वि, थाना सेक्टर-113, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0- 308/2023, धारा 392 भा0द0वि, थाना सेक्टर-113, गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0- 329/2023, धारा 392 भा0द0वि, थाना सेक्टर-113, गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0सं0- 355/2023, धारा 392 भा0द0वि, थाना सेक्टर-113, गौतमबुद्धनगर।
5. मु0अ0सं0- 424/2023, धारा 1/25/27/3/9 आर्म्स एक्ट एवं 307 भा0द0वि, थाना सेक्टर-113, गौतमबुद्धनगर।
6. मु0अ0सं0- 065/2023, धारा 392 भा0द0वि, थाना सेक्टर-63, गौतमबुद्धनगर।
7. मु0अ0सं0- 358/2023, धारा 392 भा0द0वि, थाना सेक्टर-49, गौतमबुद्धनगर।

### बरामदगी का विवरण--

1. 30,000 रुपये नकद
2. 04 मोबाइल फोन
3. 01 Baleno कार बिना नंबर प्लेट
4. 01 चैन पीली धातु
5. 02 कार नंबर प्लेट